(iii) STEPS TO OPEN RAILWAY AND ROAD TRAFFIC BETWEEN INDIA AND PAKISTAN BORDER

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर): सन् 1965 से भारत-पाकिस्तान के बीच राजस्थान के बाड़मेर जिले के मुनाबों-खोखरापार से रेल सड़क मार्ग बंद पड़ा है, जिसके कारण राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश इत्यादि क्षेत्रों के लोगों को जो अपने रिश्तेदारों से मिलने हैदराबाद, सिंध एवं मीरपुर खास (पाकिस्तान) जाना चाहते हैं उन्हें दिल्ली, अमृतसर, लाहौर (पाकिस्तान) की लंबी यात्रा तय कर हैदराबाद, सिंध पहुंचना पड़ता है, जिससे प्रति व्यक्ति 400 रुपए व चार दिन का समय लग जाता है, जब कि अगर बाड़मेर होकर पाकिस्तान जाने का रास्ता खोल दिया जाता है तो मात्र 23 रुपए के खर्च व 30 घंटे के समय में ही यात्री हैदराबाद, सिंध या मीरपुर खास (पाकिस्तान) पहुंच सकेगा। देश के विभाजन के समय राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, दिल्ली के निवासी ही पाकिस्तान के हैदराबाद, सिंध, मीरपुर खास में जाकर बसे थे। इस कारण जाने वाले यात्री इन्हीं प्रदेशों से अधिक संख्या में जाते हैं एवं पाकिस्तान से आने वाले यात्री भी इन्हीं प्रदेशों में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं।

मेरा प्रधानमंत्री जी, सरकार व विदेश मंत्री जी से निवेदन है कि यात्रियों की सुविधा के हित में एवं क्षेत्र के विकास की संभावना को देखते हुए मुनाबा-खोखरापार मार्ग खोलने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(iv) PROBLEM OF ADMISSION TO COLLEGES AND SCHOOLS IN DELHI

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : देहली के अंदर सभी स्कूलों में एवं कालेजों में विद्यार्थियों के दाखिले बंद कर दिए गए हैं। करीब 25 हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु उच्च स्कूलों में प्रवेश लेने से वंचित हो गए हैं। 25 हजार विद्यार्थी अधिकांश लघु एवं सीमांत कृषकों के बालक, मजदूरों के बालक छोटे व्यापारी एवं कमजोर वर्ग के बालक हैं। क्या 20 सूत्री कार्यक्रम जो छोटे वर्ग के लिए प्रस्तुत किया गया है---इसके अंतर्गत उक्त विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित नहीं हैं एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके इस हेतु केन्द्र सरकार क्या प्रबंध कर रही है। अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें।

(v) CENTRAL CLEARANCE FOR THE TWO PETRO-CHEMICAL PROJECTS OF BIHAR GOVERNMENT

प्रो. अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर): यह विडंबना ही कि अक्षय प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण राज्य बिहार के अधिकांश निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करें। उनकी आजीविका का परंपरागत साधन कृषि जनसंख्या में वृद्धि के कारण अलाभकर जोत में परिणत हो गया है। अतः यहां के लोगों को पिछड़ेपन से मुक्त करने के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने और बेरोजगारी मिटाने के लिए राज्य में उद्योग-धंधे का और विस्तार आवश्यक है। इस उद्देश्य से बिहार सरकार ने सोच-विचार कर दो पैट्रो-कैमिकल परियोजनाएं -- 1. कैल्शियम कार्बाइड -- पी. वी. सी. परियोजना और 2. पोलिस्टरीन परियोजना तैयार कर केन्द्र को स्वीकृति के लिए भेजा है। दूसरे राज्यों की इस प्रकार की परियोजनाओं को तो स्वीकृति मिल चुकी है, परंतु बिहार की परियोजना अभी तक लंबित है। जिसे विकास की प्रक्रिया तीव्र करने के लिए शीघ्र स्वीकृति मिलनी चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि उक्त योजनाओं पर अविलंब स्वीकृति प्रदान करें।

(vi) NEED TO INCREASE THE FREEDOM FIGHTERS' PENSION

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 को 1-8-80 से "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना" के नाम से उदार बनाकर हजारों सैनानियों की भारी सेवा की है। सभी सैनानियों ने इस उदार योजना का

[श्री रामावतार शास्त्री]

हार्दिक स्वागत किया है तथा सरकार को इसके लिए बधाई दी है ।

परन्तु महंगाई में वृद्धि के साथ सेनानियों की कठिनाइयां भी बढ़ती जा रही हैं । इसलिए, उनकी मांग है कि प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन की राशि को तीन सौ रुपए से बढ़ाकर चार सौ रुपए कर दिया जाए ।

प्राय: सभी सेनानी बूढ़े हो चुके हैं । ऐसे लोगों को रोग आसानी से धर दबाता है जिसके लिए इलाज की सख्त जरूरत होती है । इसके लिए भारत सरकार की ओर से चिकित्सा के लिए कम से कम एक सौ रुपए माहवारी प्रत्येक सेनानी को अतिरिक्त राशि के रूप में देने की व्यवस्था की जानी चाहिए । इस प्रकार कुल मिला कर सेनानियों को प्रत्येक माह पांच सौ रुपए पेंशन के रूप में दिया जाए ।

सेनानियों में इस बात से घोर असन्तोष है कि सन् 1931 के गांधी-इर्विन समझौते के बाद जेलों से रिहा सभी सेनानियों को सम्मान पेंशन की राशि नहीं दी जा रही है । इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए ।

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत गठित गैर-सरकारी सलाहकार समिति ने गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई अपनी 18 जून, 1982 की बैठक में सर्व सम्मति से सिफारिश की थी कि (1) स्वेज कनाल और अम्बाला कैंट के मामलों से संबंधित व्यक्तियों (2) सी आई एच विद्रोह और मिस् विद्रोह के मामलों में कैद की सजा काटे व्यक्तियों (3) 1871 के वूका आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों (4) 1940 के हालवेल स्मारक हटाओ आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों (5) रानी झांसी रेजिमेंट की भूतपूर्व आजाद हिन्द की उन महिलाओं को जो युद्ध के मोर्चे पर लड़ी थीं, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन की राशि दी जाए । समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि जेलों में रहते स्वतंत्रता सेनानी माता पिता के पैदा हुए बच्चों तथा जो उनके साथ जेलों में अर्हक अवधि तक रहे उन्हें सम्मान पेंशन देने की व्यवस्था की जाए । बाद की बैठक में समिति ने पुनप्रा वायलर, तेलगाना आन्दोलन और भोपाल आन्दोलन में भाग लेने वाले सेनानियों को भी पेंशन देने की सिफारिश की ।

सलाहकार समिति की सिफारिशों---को एक साल गुजर गया है । फिर भी दुख और आश्चर्य की बात है कि उसकी सिफारिशों को अब तक अमल में क्यों नहीं लाया गया । अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन ने अपनी गत 6 जुलाई की बैठक में उक्त सिफारिशों को फौरन लागू करने की मांग की है ।

सरकार को इन सारी बातों के बारे में सदन के सामने शीघ् एक व्यान प्रस्तुत करना चाहिए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now Shri Ram Vilas Paswan will move his motion.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I have given my amendment to the motion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him move his motion. Then only you will come to know what the motion is.

14.28 hrs.

MOTION Rs: SECOND REPORT OF COMMITTEE OF PRIVILEGES

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा 21 अप्रैल, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए विशेषाधिकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन पर विचार करती है ।"

उपाध्यक्ष महोदय, आज का जो विषय है वह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी दल विशेष का नहीं बल्कि ऐसा विषय है जो सदन और सदस्यों की गरिमा से संबंध रखता है । इस सदन की परिपाटी आज से नहीं अंग्रेजों के समय से ही यह चली आ रही है कि इस सदन और इसके सदस्यों की गरिमा की रक्षा की जाए ।